न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला–टोंक

पीठासीन अधिकारी डॉ. एल.एन. बुनकर (आर.ए.एस.)

दावा संख्या–134 / 2019

वाद प्रस्तुति दिनांक :–12.12.2019

निर्णय दिनांकः– 15.01.2020

उनवान

1. अनिल कुमार पुत्र स्व0 टीकमचन्द जैन जाति महाजन निवासी महावीर चौक पुरानी टोंक, टोंक (राज0)
2. सुशील कुमार पुत्र स्व0 माणकचन्द जैन जाति महाजन निवासी महावीर चौक पुरानी टोंक, टोंक (राज0)

वादीगण

बनाम

1. वन विभाग, टोंक / उपवन संरक्षक अधिकारी महोदय, कार्यालय टोंक, जिला–टोंक
2. तहसीलदार पीपलू , जिला–टोंक

प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत् बेदखली व कब्जा सुपूर्दगी</u>
<u>अन्तर्गत धारा 183 राज0 टीनेन्सी एक्ट</u>

अधिवक्ता वादीगणः– श्री विवेक चौधरी | निर्णय दिनांकः–15.01.2020

प्रतिवादीगणः– अनुपस्थित

Scanned with CamScanner

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी संख्या 01 के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात ख0न0 986 रकबा 03 बीघा , ख0न0 987 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा एवं वादी संख्या 02 के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख0न0 987/2764 रकबा 18 बीघा भूमि वाके ग्राम सोहेला में स्थित हैं जो राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण व उसके परिवार के लोगों के नाम अंकित हैं। वादीगण की उक्त वर्णित आराजी के समीप ही वन विभाग की भूमि हैं। वादीगण की गैर मौजूदगी में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा बिना सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवाये वन विभाग द्वारा भूमि पर खाई खोदकर डोल डाल दी गई हैं। जहाँ प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा खाई खोदकर डोल डाली हैं। वह भूमि वन विभाग के न होकर वादीगण की खातेदारी की भूमि हैं। वादीगण की 03 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर वन विभाग द्वारा डोल डाली गई हैं। वादीगण द्वारा अपनी भूमि का सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी करवाई जा चुकी हैं। जिसमें 18.07.2019 को पर्चा मौका बनाया जाकर वादीगण की 03 बीघा भूमि पर डोल डाला जाना स्पष्ट किया हैं। वादीगण ने अपनी भूमि पर से कब्जा हटाने हेतु कई बार प्रतिवादी संख्या 01 को कहा किन्तु उनके द्वारा आज तक कब्जा नहीं हटाया हैं। जिससे वादीगण को 03 लाख रूपये की पैदावार का नुकसान हुआ हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जो वादीगण की 03 बीघा भूमि पर डोल डालकर कब्जा किया है। उससे प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा सुपूर्द करवाया जावें एवं जो सीमा चिह्न वादीगण की खातेदारी में कायम किये गये हैं। उन्हे हटवाया जावें और अपना कब्जा आज दिनांक तक बनाये रखने के लिए शास्ति अधिरोपित कर वादीगण को दिलवाया जावें। जिसके लिए वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। बावजूद तलबी नोटिस प्राप्त होने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण की तरफ से कोई उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर प्रकरण की सुनवाई की गई।

अधिवक्ता वादीगण ने बहस में बताया कि वादी संख्या 01 के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात ख0न0 986 रकबा 03 बीघा , ख0न0 987 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा एवं वादी संख्या 02 के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख0न0 987/2764 रकबा 18 बीघा भूमि वाके ग्राम सोहेला में स्थित हैं जो राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण व उसके परिवार के लोगों के नाम अंकित हैं। वादीगण की उक्त वर्णित आराजी के समीप ही वन विभाग की भूमि हैं। वादीगण की गैर मौजूदगी में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा बिना सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवाये वन विभाग द्वारा भूमि पर खाई खोदकर डोल डाल दी गई हैं। जहाँ प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा

उप खण्ड अधिकारी
पी... (टोंक)

Scanned with CamScanner

खाई खोदकर डोल डाली हैं। वह भूमि वन विभाग के न होकर वादीगण की खातेदारी की भूमि हैं। वादीगण की 03 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर वन विभाग द्वारा डोल डाली गई हैं। वादीगण द्वारा अपनी भूमि का सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी करवाई जा चुकी हैं। जिसमें 18.07.2019 को पर्चा मौका बनाया जाकर वादीगण की 03 बीघा भूमि पर डोल डाला जाना स्पष्ट किया हैं। वादीगण ने अपनी भूमि पर से कब्जा हटाने हेतु कई बार प्रतिवादी संख्या 01 को कहा किन्तु उनके द्वारा आज तक कब्जा नहीं हटाया हैं। जिससे वादीगण को 03 लाख रूपये की पैदावार का नुकसान हुआ हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जो वादीगण की 03 बीघा भूमि पर डोल डालकर कब्जा किया है। उससे प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा सुपूर्द करवाया जावें एवं जो सीमा चिह्न वादीगण की खातेदारी में कायम किये गये हैं। उन्हे हटवाया जावें और अपना कब्जा आज दिनांक तक बनाये रखने के लिए शास्ति अधिरोपित कर वादीगण को दिलवाया जावें।

वादीगण नें अपने वाद के समर्थन में नकल जमाबन्दी, प्रतिवादीगण को दिये गये रजिस्टर्ड नोटिस की प्रति, पोस्ट ऑफिस की एडी0 रसीद, श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, टोंक द्वारा दिनांक–09.01.2019 को कार्यवाही हेतु लिखा गया पत्र की प्रति, तहसीलदार, पीपलू द्वारा कार्यालय आदेश की प्रति, उपखण्ड अधिकारी पीपलू द्वारा दिनांक–13.08.2019 को जारी आदेश की प्रति, कार्यालय उपवन संरक्षक, टोंक के दिनांक–07.08.2018 की प्रति, मौका पर्चा दिनांक–18.07.2019 की प्रति, दिनांक–18.08.2019 को उपवन संरक्षक अधिकारी को वादीगण द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र की प्रति पेश की हैं।

पत्रावली में अधिवक्ता वादी की बहस को सुना गया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ठ होता हैं कि वादीगण की खातेदारी की भूमि ख0न0 987 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम सोहेला की भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा 03 बीघा भूमि पर कब्जा कर डोल डाल दी हैं एवं सीमा चिह्न कायम कर दिये हैं। उन्हें वादीगण हटवाने के अधिकारी हैं।

अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 को आराजी ख0न0 987 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम सोहेला वादीगण की भूमि में 03 बीघा भूमि पर डाली गई डोल एवं सीमा चिह्नों को हटाने का आदेश दिया जाता हैं एवं तहसीलदार, पीपलू को आदेशित किया जाता हैं कि वे वादीगण की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा डाली गई डोल एवं सीमा चिह्नों को हटवाकर कब्जा वादीगण को सुपूर्द करें। डिक्री जारी हों। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(डॉ. एल.एन. बुनकर)
उप खण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू

Scanned with CamScanner